शेरपुर

File No.

प्रकरण # 2015/00382

आनिरुद्ध सिंह बनाम लक्ष्मण सिंह

Name :

Address :

Subject :

From : ***To :***

NO. 500

Record File

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:46 IST
Reason: SelfAttested

S.I DEZIRE

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.03.21	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 212 रा.का. अधि. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की आयु 6 वर्ष है वह नाबालिग है अपनी मां बबीता के संरक्षण में रहता है। यह प्रार्थना पत्र प्राकृतिक मां बबीता के जरिए प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्राम शेरपुर के नवीन खसरा सं. 131, 190, 189 बाकाबिले आराजी रकबा वाके ग्राम शेरपुर तहसील बयाना में स्थित है। उक्त खाता संख्या ओं में वर्णित आराजीयात हिन्दू परिवार की आय से सम्मिलित बनाया गया है। अप्रार्थी, प्रार्थी का खास चाचा है। एवं विवादित आराजी प्रार्थी के पिता पुश्तैनी व संयुक्त हिन्दू परिवार की आराजी है। संवत 2071-74 के जमाबन्दी के खाता सं. 131 में वर्णित आराजी में प्रार्थी 1/2 हि., खाता सं. 190 की आराजी में 1/2 हि., खाता सं. 189 में 1/2 हि. दर्ज रिकार्ड है। आराजी में संयुक्त रूप से काश्त की जा रही है। प्रतिवादी, अप्रार्थी, वादी प्रार्थी से नाराज हो गया है खातेदारी का इन्द्राज अपने नाम होने के कारण वह वादी/प्रार्थी के हकूक को समाप्त करना चाहता है। प्रतिवादी, अप्रार्थी ने दूसरी शादी की है इसलिए उसके प्रभाव में आकर वह वादी/प्रार्थी के उक्त आराजी में निहित हिस्से को समाप्त कर देना चाहता है। दिनांक 27/9/2015 को अप्रार्थी ने मौके पर प्रार्थी को [illegible] है कि वह उक्त आराजी में [illegible] नहीं है में बटवारा नहीं [illegible] विक्रय कर उक्त आराजी से हकूकों को समाप्त कर दूंगा। वादी प्रार्थी को हिस्से की जमीन में कब्जा नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
करने लगे। यदि प्रतिवादी/अप्रार्थी अपनी उक्त धमकी में कामयाब हो गया तो वादी/प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षति पूर्ति किसी प्रकार नहीं हो सकेगी। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक विवादित आराजीयात को बावत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया। अप्रार्थी ने दिनांक 27/02/2020 को न्यायालय हाजा में उपस्थित जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र की अधिकांश मदों को अस्वीकार कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने का निवेदन किया है। हमने विद्वान अभिभाषकगणों को सुना। पत्रावली में उपलब्ध रेवेन्यू रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2071-2074 का अवलोकन किया। यह सत्य है कि वादी/प्रार्थी प्रतिवादी/अप्रार्थी का पोता है। भूमि विवादित आराजी वादी/प्रार्थी के लिए पुश्तैनी आराजी होना जाहिर होती है। चूंकि मूल वाद में विवादित आराजीयात बावत अधिकारों का निर्धारण होना है जो तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य के आधार पर तनकीयात तय किए जायेंगे ऐसी स्थिति में तनकीयात तय किए जाकर विवादित अधिकारों का निर्धारण नहीं होने तक विवादित आराजी बावत पक्षकारान के मध्य विवाद नहीं वहे न्यायालय हाजा से जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक पुख्ता करना न्यायालय न्यायोचित समझता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। आदेश अतः, प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी अस्थाई	

उपखण्ड अधिकारी
बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	निगरानी दिनांक 7/10/2015 मूल वाद को निर्णय तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम हो। वाद-तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/3/21 को मेरे हुए लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Arya
Date: 2021.04.22 16:39:46 IST
Reason: SelfAttested